हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
भीमचंद V/S रामू गोरा द्वारा 5/15	
वकील वादी उप0। द्वारा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावे। खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Riy	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

नम्बर मुकदमा	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
[illegible]/15	दावा	03.06.15	22.02.17

श्रीचन्द पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी खिरखिड़ा तहसील सपोटरा जिला करौली(राज)

-वादी

बनाम

1. रामू पुत्र रतनलाल
2. जोहरी पुत्र रतनलाल

सभी जाति माली निवासी खिरखिड़ा तहसील सपोटरा जिला करौली।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित- श्री [illegible]चंद गुप्ता एड0 वकील वादी।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि "वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 1501 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 1380 रकबा 09 बिस्वा, ख0नं0 1390 रकबा 04 बिस्वा, 1395 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम बालोती तहसील सपोटरा में स्थित है जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसमे वादी का हिस्सा 1/4 है। इसी मोजे की आराजी खसरा नं0 1328 रकबा 16 बिस्वा भी वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण लट्ठ् के बल पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा आये दिन प्रतिवादीगण वादी को धमकी देते रहते है कि यदि जमीन पर आया तो जान से मारेगे तथा या वे अन्य दीगर लोगो को बेच कर जबरन कब्जा करायेगें। वादी गरीब वृद्ध व्यक्ति है, उसको भी कम दिखाई देता है। वादी की एक लड़की है जो शादीशुदा होकर ससुराल मे निवास करती है तथा पत्नि की पूर्व मे ही मृत्यु हो चुकी है। वादी अनपढ गरीब किसान है। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की जमीन की फसल को जबरदस्ती उजाड़ देते है। वादी ने अपने हिस्से की आराजीयात मे गेहूँ व सरसों की फसल काश्त की है जिसे कटवाने के लिए दिनांक [illegible].2015 को मजदूर ले गया तो प्रतिवादीगण हाथों मे लाठी डण्डे लेकर आ गए और वादी को अपनी फसल नही काटने दी तथा मजदूरों को भगा दिया एवं एलानिया धमकी दी कि यदि फसल को दुबारा काटने आये तो जान से मार देगें। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।"

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी श्रीचंद का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वकील वादी द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम बालोती सम्बत् 2067-70 तथा खसरा गिरदावरी सम्बत् 2067-2070 पेश की है।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2067-2070 के अनुसार मौजा बालोती के विवादित खसरा नं. 1380,1390,1395, व 1501 श्रीचंद , रामू , जोहरी व [illegible] बसन्ती पुत्री रतनलाल कौम माली सा0 खिरखिडा के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/2 एवं बसन्ती पुत्री रतनलाल का हिस्सा 1/4 है , जिसे दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। पुनश्चः जमाबंदी सम्वत् 2067-70 के अनुसार ग्राम बालोती के विवादित ख0न0 1328 में वादी का 1/6 हिस्सा एवं रामनरी पत्नी बत्तीलाल कोम मीना का 5/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है , जिसे दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः उपरोक्त विवादित आराजीयात का बिना बटंवारा किये प्रत्येक [illegible] के प्रत्येक इंच पर सभी सह खातेदारों का अपने हिस्सेनुसार बराबर-बराबर हिस्सा है [illegible] सह खातेदारों के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत करने एवं बसन्ती [illegible] कौम माली व रामनरी पत्नी बत्तीलाल कौम मीना (रिकार्डेड सहखातेदार) [illegible] नहीं बनाये जाने के कारण उपरोक्त आराजीयात पर वादी का वाद पत्र बाबत् [illegible] निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी [illegible] आज दिनांक 22.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल [illegible] से कम हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली